

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र
मामला क्रमांक...

15/01/25

- प्रकरण पेश।
- प्रकरण तहसीलदार बोड़ला से प्राप्त।
- प्रकरण का अवलोकन किया गया।
- प्रकरण में तहसीलदार बोड़ला के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए पृथक से निर्धारित प्रारूप में आदेश पारित किया जाकर संलग्न है।
- प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा0द0 हो।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बोड़ला

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) बोड़ला, जिला- कबीरधाम(छ.ग.)

प्ररूप-ड.
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

मेलनबाई पति मुकुंददास जाति-पनिका
निवासी ग्राम बोड़ला
तहसील बोड़ला

विषय:- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 27.11.2024 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 20.12.2024 को प्राप्त होने के उपरांत तहसीलदार बोड़ला के द्वारा दिनांक 26.12.2024 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रजाति	छाती गोलाई (मीटर में)	उंचाई मी.में	अन्य विवरण
1	मुड़ी	2.5	-	सुखा खड़ा

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ग्राम बोड़ला, प.ह.नं. 24 तहसील बोड़ला में स्थित भूमि ख.नं. 134/3 रकबा 0.466 हे. में स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति मुड़ी संख्या वृक्ष क्रमांक 01 कुल योग 01 वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (कं. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बोड़ला

बोड़ला, दिनांक /01/2025

पृ.कमांक /वाचक/अ0वि0अ0/2025
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महोदय कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
2. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल कवर्धा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार बोड़ला को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बोड़ला